फा.सं. ए.12028/04/2023-डीआरएस
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(औषध विनियमन अनुभाग)
****

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 04,मई 2023

सार्वजनिक सूचना

यह मंत्रालय केंद्रीय औषध प्रयोगशाला (सीडीएल), कोलकाता, केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन(सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक(एसएलए) के पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव की जाँच कर रहा है। इस संबंध में, भर्ती नियमों के मसौदों को तैयार कर लिया गया है, जिनकी प्रति संलग्न हैं।

2. इन्हें अंतिम रूप से तैयार करने से पूर्व, इस मामले में सभी हितधारको से टिप्पणी, यदि कोई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों के अन्दर आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से विर्निर्दिष्ट समय के अन्दर प्राप्त होनेवाली टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा नियम/अपेक्षा के अनुसार भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पूर्व विचार किया जाएगा।

3. कृपया अपनी टिप्पणियाँ अधोहस्ताक्षरी को, कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन,नई दिल्ली-110011 के पते अथवा bikash.mahato@nic.in पर भेजें।

संलग्नक: उपर्युक्त के अनुसार

(बिकाश आर माहातो)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: 011-23061141

अनुसूची

क्रम सं	अनुसूची की स्तम्भ सं.	अनुमोदित/ विद्यमान नियमों में प्रावधान	संशोधित प्रस्तावित प्रावधान	परिवर्तन का कारण/औचित्य
1.	पद का नाम	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक	कोई परिवर्तन नहीं
2.	पदों की संख्या	18*(2015) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	18*(2023) * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	कोई परिवर्तन नहीं
3.	वर्गीकरण	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय	कोई परिवर्तन नहीं
4.	वेतन मैट्रिक्स या वेतन मान में स्तर	पीबी-1, 5200-20200 रुपये 2800/- रु. ग्रेड वेतन के साथ	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5(29,200-92,300 रुपये)	सातवें सीपीसी नियम, 2016 के अनुसार वेतनमान
5.	चयन पद या अचयन पद	अचयन	अचयन	कोई परिवर्तन नहीं
6.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	18-25 वर्ष आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू का लद्दाख प्रभाग व कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी	18-25 वर्ष आयु के बीच। (केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी आयु-सीमा चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा निर्धारण की निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू का लद्दाख प्रभाग व कश्मीर राज्य, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले का पांगी उपखंड और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है)। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए गए	क्योंकि भर्ती नियम की एक प्रक्रिया सीधी भर्ती है (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार)

		उपखंड और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गयी है)। टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से भर्ती किए गए अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।	अभ्यर्थियों के मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तारीख तक रोजगार कार्यालय को नामों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ।	
7.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	अनिवार्य: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी या रसायन विज्ञान या फार्माक्यूटिकल रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या जीव विज्ञान में स्नातक डिग्री। वांछनीय: एनालिटिकल प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव।	अनिवार्य: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से फार्मेसी या रसायन विज्ञान या फार्माक्यूटिकल रसायन विज्ञान या जैव रसायन विज्ञान या सूक्ष्म जीव विज्ञान या जीव विज्ञान में स्नातक डिग्री। वांछनीय: एनालिटिकल प्रयोगशाला में एक वर्ष का अनुभव।	कोई परिवर्तन नहीं
8.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी या नहीं	आयु: नहीं शैक्षणिक अर्हता: हाँ। टिप्पण:- सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता इन नियमों की अधिसूचना की तिथि पोषक पदों पर मौजूदा पदधारियों पर लागू नहीं होंगी।	आयु: नहीं शैक्षणिक अर्हता: हाँ।	कोई परिवर्तन नहीं
9.	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	2(दो) वर्ष	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए	कोई परिवर्तन नहीं

			केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	
10.	सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से रिक्तियां भरे जाने की प्रतिशतता	40 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और 60 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।	60 % प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा और 40 % सीधी भर्ती द्वारा।	भर्ती की पद्धति को संशोधित किया गया है क्योंकि वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संवर्ग की स्वीकृत संख्या 18 तथा पोषक संवर्ग की स्वीकृत संख्या 12 है। पोषक संवर्ग में पदधारियों की स्थिति रुकी हुई है और उनके संवर्ग में 12-15 वर्ष की सेवा करने के बाद भी उन्हें प्रोन्नति नहीं मिल रही है। तथापि, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा केवल पांच वर्ष है। पोषक संवर्ग में प्रोन्नति का दायरा बढ़ाने और बेहतर कार्य-निष्पादन हेतु प्रेरित करने के लिए संशोधित प्रावधान प्रस्तावित है। प्रोन्नति एवं पोषक दोनों संवर्गों के कार्यों की प्रकृति एक समान है तथा इनका आपस में सहसम्बन्ध है। सीधी भर्ती के माध्यम से आने वाले पदधारियों के पास वांछित कार्य अनुभव नहीं है।
11.	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	प्रोन्नति: वेतन मान 2400 रुपये में वेतन बैंड-1(5200-20200 रुपये) में ऐसे कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और मीडियामैन जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित श्रेणी या पद में विहित अर्हक सेवा के अधिकारियों द्वारा पूरी करने के संदर्भ में तैयार की	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4(25500-81100 रुपये) में ऐसे कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक और मीडियामैन जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष नियमित सेवा की हो। टिप्पण: प्रोन्नति के लिए पात्रता सूची संबंधित श्रेणी या पद में विहित अर्हक सेवा के अधिकारियों द्वारा पूरी करने के संदर्भ में तैयार की जाएगी।	सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार संशोधित वेतन मान, नियम-2016

		जाएगी।		
12.	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है, तो उसकी संरचना	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति(प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं: 1. निदेशक, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता- अध्यक्ष 2. उप औषध नियंत्रक(भारत)(पूर्वी अंचल), केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन –सदस्य , 3. उप निदेशक प्रशासन (औषध)(मुख्यालय), केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन-सदस्य 4. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता-सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) की संरचना: 1. निदेशक, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता- अध्यक्ष 2. उप औषध नियंत्रक (भारत)(पूर्वी अंचल), केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन –	समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) की संरचना: 1. निदेशक, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता - अध्यक्ष 2. उप निदेशक प्रशासन(औषध) –सदस्य , 3. समूह क अधिकारी, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता -सदस्य समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) की संरचना: 1. निदेशक, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता- अध्यक्ष 2. उप निदेशक प्रशासन(औषध) –सदस्य , 3. समूह 'क' अधिकारी, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता- सदस्य	प्रयोगशाला की नफ़री के अनुसार परिवर्तित

		सदस्य 3. वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता-सदस्य		
13.	भर्ती की किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श अपेक्षित है	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	कोई परिवर्तन नहीं।

*****